तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पेम्प सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी. (अपर कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 110/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.23	अपीलार्थी पेम्प सिंह भाटी निवासी ग्राम/पोस्ट बेरू, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2023 में ग्राम बेरू के ख.स. 108,7,8,14 की मौका रिपोर्ट, ख.स. 14 से लगता हुआ, से बैंक तक का रास्ता जो खसरा स. 7 है उसके हाल की मौका रिपोर्ट एवं अन्य बिन्दू, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से पत्र क्रमांक सू.अ.अ./प्रा.स. 88/2023/441 दिनांक 06.04.2023 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय, जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का आवेदन पत्र मूल ही तहसीलदार, जोधपुर को अंतरित कर दिया गया था। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार कार्यालय, जोधपुर से संबंधित है, इसलिए अपील में तहसीलदार, जोधपुर को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए यह निर्देशित किया जाता है प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करवाई जाए अथवा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	